




अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

गीता बनाम सावित्री आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 82 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
03.05.2024.	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 1065/122की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 122/121 के ख0न0 1369/346 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि की प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 1 आगामी तारीख पेशी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 04.06.2024 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> वकील सावित्री (सावित्री) व विक्रम वर पत्रावली वर उड्ड वकील सावित्री सावित्री व विक्रम विक्रम की हम पक्षकारन का अपस से राजनीत्या ही गमा ही इल्लिम प्राशकिएत वही घलाषा चाइस रकारिएत वरमर्तिसुपपु लव्य व वर प्राशकिएत वही वरमर्त व वरमर्त रकारिएत विक्रम वरमर्त वी वरमर्त वरिक्म वरमर्त वी </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नोहर </p>	 गीता

20/5/24

